

धारा – 4(1) ब

15

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्राप्यनीय सुविधाओं की विशिष्टियां और वाचनालय के कार्यकारी घंटे यदि लोक उपयोग के लिए बनाये रखा गया है, की विशिष्टियाँ,

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र. 220/22/वि-12/ग्रासविप्रा/2002

भोपाल, दिनांक 24/01/2002

आदेश

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा सूचना का अधिकारी लागू करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी निम्न निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है:-

क्र.	जानकारी का विवरण	निर्धारित मूल्य
1.1.1	तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रति	रु. 2.00 प्रति पृष्ठ
1.1.2	स्वीकृति प्रावकलन की प्रति	रु. 2.00 प्रति पृष्ठ
1.1.3	स्वीकृत मानचित्र की प्रति	रु. 30.00 प्रति पृष्ठ
1.1.4	स्वीकृत निविदा के त्रिलनात्मक पत्रक की प्रति	रु. 2.00 प्रति पृष्ठ
1.1.5	निविदा अनुबंध की प्रति	रु. 2.00 प्रति पृष्ठ
1.1.6	कार्यादेश की प्रति	रु. 2.00 प्रति पृष्ठ
1.1.7	माप पुस्तिका में अंकित माप एवं देयक प्रति	रु. 2.00 प्रति पृष्ठ
1.1.8	चल/अंतिम देयक प्रति	रु. 2.00 प्रति पृष्ठ

टीप - क्रमांक 1.1.1 से 1.1.6 तक की जानकारी स्वीकृति जारी करने की दिनांक से ४: माह तक प्राप्त की जा सकती है, तथा क्रमांक 1.1.7 से 1.1.8 तक की जानकारी भुगतान होने के बाद तीन माह तक प्राप्त की जा सकती है।

(प्रमोद अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

पृ. क्र. 220/22/वि-12/ग्रासविप्रा/2002

भोपाल, दिनांक 24/01/2002

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. अध्यक्ष जिला पंचायत/जनपद पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।
6. मुख्य अभियंता एवं मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश।
8. महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, समस्त, मध्यप्रदेश। की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित कार्यालय में जानकारी प्रदाय करने के लिए समूचित व्यवव्धा की जाये तथा जो जानकारी संबंधित कार्यालय में उपलब्ध है उसे आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर तथा जो जानकारी अधिनस्थ कार्यालय से प्राप्त कर की दी जानी है उसे आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर प्रदाय करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र. 5527 / 22 / वि-12 / ग्रासप्रा / 2004

भोपाल, दिनांक 20 / 09 / 2004

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा सूचना का अधिकार लागू करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 220 / 22 / वि-12 / ग्रा.स.वि.प्रा. / 2002 दिनांक 24.1.2002 के नीचे की टीप को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित टीप प्रतिस्थापित की जाती है।

टीप :- क्रमांक 1.1.1 से 1.1.6 तक की जानकारी, स्वीकृति जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक प्राप्त की जा सकती है तथा क्र. 1.1.7 से 1.1.8 तक की जानकारी भुगतान होने के बाद एक वर्ष तक प्राप्त की जा सकती है।

आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

(प्रमोद अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

पृ. क्र. 5528 / 22 / वि-12 / ग्रासप्रा / 2004

भोपाल, दिनांक 20 / 09 / 2004

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. अध्यक्ष, जिला पंचायत / जनपद पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।
6. मुख्य अभियंता एवं मुख्य महाप्रबंधक I & II, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
8. महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, म.प्र।
की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित कार्यालय में जानकारी प्रदाय करने के लिए समूचित व्यवस्था की जाये तथा जो जानकारी संबंधित कार्यालय में उपलब्ध है उसे आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर तथा जो जानकारी अधिनस्थ कार्यालय से प्राप्त कर की दी जानी है। उसे आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर प्रदाय करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण